उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1
संख्या-8/2015/826/84-1-2014-4विविध/2015
लखनऊ:दिनांक: 19 मार्च, 2015

कार्यालय आदेश

पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0अ0-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04-05-2010 एवं संख्या-वे0अ0-2-2118/दस-62 (एम)/2008 दिनांक 22-12-2011 में निहित व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या-627/84-1-12-04 विविध/05 दिनांक 15.06.2012 द्वारा श्री आनन्द स्वरूप सहायक नियत्रक वर्ग-1 को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैड रू0 15600-39100 में ग्रेड वेतन रू0 7600 अनुमन्य किया गया है।

श्री कृष्ण कुमार उपनियंत्रक विधिक माप विज्ञान मेरठ द्वारा इस आशय का प्रत्यावेदन दिनांक 07-07-2012 एवं दिनांक 04-05-2013 को शासन में प्रस्तुत किया कि वे श्री आनन्द स्वरूप सहायक नियंत्रक वर्ग-1 से वरिष्ठ है तथा दिनांक 20.09.2007 से उपनियंत्रक के पद पर ग्रेड पे0 रू0 6600 में कार्यरत है जो सहायक नियंत्रक वर्ग-1 से उच्चतर पद है। अत: शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार दिनांक 27.01.2009 से ग्रेड वेतन रू0 7600 स्वीकृत किया जायं, ताकि वेतन/ग्रेड वेतन कनिष्ठ से कम न हो।

श्री कृष्ण कुमार उपनियंत्रक के प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर श्री कृष्ण कुमार उपनियंत्रक विधिक माप विज्ञान को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.12.2011 के प्रस्तर-3 (1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उनसे कनिष्ठ श्री आनन्द स्वरूप सहायक नियंत्रक वर्ग-1 को रू0 7600 ग्रेड वेतन स्वीकृत किये की तिथि 27.01.2009 के आधार पर दिनांक 30.01.2009 से (श्री कृष्ण कुमार की सेवा 16 वर्ष पूर्ण होने की तिथि) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड 15600-39100 में ग्रेड वेतन रू0 7600 एतद्वारा स्वीकृति किया जाता है।

चूकि श्री आनन्द स्वरूप को कार्यालय ज्ञाप संख्या-3202/29-9-06-04(विविध)/05 दिनांक 22.01.2007 द्वारा आठ वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 27.01.2001 से रू0 3000-100-3500-125-4500 के वैयक्तिक वेतनमान की स्वीकृति तथा शासनादेश दिनांक 15.06.2012 द्वारा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैड 15600-39100 में अगला उच्च ग्रेड वेतन 7600/-को स्वीकृति रिट याचिका संख्या-26799/2006 श्री आनन्द स्वरूप बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश/निर्णय के अधीन की गई है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण कुमार को भी स्वीकृत प्रश्नगत लाभ उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश/निर्णय के अधीन होगा।

श्री कृष्ण कुमार को उक्त द्वितीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-21 के उसी लेखाशीर्ष से वहन किया जायेगा, जिससे संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया जाता है।

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित कोषाधिकारी।
4- श्री कृष्ण कुमार, उपनियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग, मेरठ।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-। एवं 2
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुलदीप कुमार रस्तोगी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।